भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1979

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

†1979. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर मंत्रालय द्वारा वर्ष-वार कितना वास्तविक पूंजीगत व्यय हुआ; और

(ग) आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित हो रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति या अन्य अनुमतियों के कारण कितनी परियोजनाओं में विलंब हो रहा है, और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य-वार निधि आबंटित करता है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं के लिए आबंटित निधि का वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	**आबंटित निधि (करोड़ रुपये में)**
2019-20	6,170
2020-21	4,296
2021-22	5,913
2022-23	6,957
2023-24	11,780
2024-25	11,554
2025-26	11,962
कुल	58,632

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर किया गया वर्ष-वार पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपये में)
2019-20	6,170
2020-21	4,296
2021-22	5,913
2022-23	6,957
2023-24	11,780
2024-25	11,554
2025-26	11,962
कुल	58,632

(ग) वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में 106 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	परियोजनाओं की संख्या
कुल चालू परियोजनाएं	106
मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब	26
मुख्यतः वन/पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के कारण विलंब	12
जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण/वैधानिक स्वीकृतियों के कारण विलंब	11
संविदाकार/अन्य परियोजना-विशिष्ट मुद्दों के कारण विलंब	21

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति समय पर ऋण भार मुक्त भूमि की उपलब्धता, वैधानिक और वन/पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, कानून और व्यवस्था की स्थिति, निर्माण कार्य संबंधी सामग्री की उपलब्धता, संविदात्मक दायित्वों और अन्य परियोजना-विशिष्ट कारकों पर निर्भर करती है।

सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियां विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करती हैं और शीघ्र भूमि अधिग्रहण और ऋण भार मुक्त भूखंडों के हस्तांतरण, वैधानिक और वन/पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त करने, संबंधित एजेंसियों के समन्वय से जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण करने, संविदात्मक और तकनीकी मुद्दों के समाधान और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नियमित समीक्षा और निगरानी सहित उचित उपाय करती हैं, जिनमें राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय शामिल है।
